झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

का॰ आ॰ सं॰– 8/ज०स०(नि०) विविध–15 –04/14 (खण्ड) राँची, दिनांक –

आदेश

श्री योगेन्द्र शर्मा (आई०डी०–3332) तत्कालीन सहायक अभियंता की सेवा नगर विकास विभाग से वापस लेते हुए विभागीय अधिसूचना सं०–7776 दिनांक 21.12.13 द्वारा कदवन बॉध अवर प्रमण्डल–2 नगर उटारी में पदस्थापित किया गया था। श्री शर्मा द्वारा विभागीय स्थानांतरण आदेश का अनुपालन ससमय नहीं किये जाने के कारण विभागीय पत्रांक 2711 दिनांक 27.03.14 द्वारा कारण पृच्छा की गई।

2) श्री शर्मा से प्राप्त कारण पृच्छा की समीक्षा सरकार स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरांत श्री शर्मा के कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए विभागीय आदेश ज्ञापांक 1749 दिनांक 15.04.15 द्वारा निम्न दण्ड संसूचित किया गया :–

(i) दो वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

3) उक्त दण्ड के सापेक्ष श्री शर्मा द्वारा अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया। प्राप्त अपील अभ्यावेदन की समीक्षा सरकार स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरांत श्री शर्मा के अपील अभ्यावेदन में कोई नया तथ्य या तर्क नहीं दिया गया है जिसके आधार पर इन्हें संसूचित दण्ड पर पुनर्विचार किया जा सके।

अतः सम्यक समीक्षोपरांत श्री योगेन्द्र शर्मा द्वारा दायर अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

4) उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–

सरकार के अवर सचिव (नि०)

ज्ञापांक – 3035 राँची,दिनांक – 08-06-16

प्रतिलिपि – महालेखाकार झारखण्ड, राँची/माननीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव जल संसाधन विभाग राँची/कोषागार पदाधिकारी, गढ़वा/मुख्य अभियंता (मो०), जल संसाधन विभाग, राँची/उप सचिव (प्र०) जल संसाधन विभाग राँची/श्री योगेन्द्र शर्मा, कार्यपालक अभियंता योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल संच–1, जल संसाधन विभाग, राँची/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/06/2016

सरकार के अवर सचिव (नि०)

08.06.16

E:\kanhaiya 2016\LS_R.M.P singh\Office Order.docx